न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 03/2021

तारीख रजू :– 07.01.2021

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

बतास्या उम्र 70 साल पुत्र किशोरी जाति मीना निवासी कमालपुरा तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

प्रार्थी

बनाम

1. लोहड्या उम्र 50 साल पुत्र फप्पल
2. हरभजन उम्र 45 साल पुत्र फप्पल
3. रामनिवासी उम्र 40 साल पुत्र फप्पल
4. भरतलाल उम्र 38 साल पुत्र फप्पल
5. बत्तीलाल उम्र 34 साल पुत्र फप्पल

समस्त जाति मीना निवासी राजौली तहसील टोडाभीम जिला करौली

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– हंसराम गुर्जर एडवोकेट
2 अभिभाषक अप्रार्थी की ओर – विजय भारती एडवोकेट

निर्णय दिनांक– 29/7/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि ग्राम कमालपुरा तहसील टोडाभीम के खाता संख्या 46 में वर्णित खसरा नम्बर 1281/0.25, 1282/0.10, 1283/0.04, 2173/0.11, 30/0.20, 737/0.09, कुल किता 6 कुल रकवा 0.79 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/15 तथा खाता संख्या 44 में वर्णित खसरा नम्बर 1998/0[illegible] किता 1 कुल करवा 0.68 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/30 तथा खाता संख्या 293 मे वर्णित खसरा नम्बर 1006 रकवा 0.82 है में प्रार्थी का हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार है। बकिया हिस्सा के सहखातेदार प्रतिवादी सं0 6 ता 18 दावे के पक्षकार है, हाल रेवेन्यू

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

रिकॉर्ड जमाबन्दी में इसी प्रकार खातेदार दर्ज है। प्रार्थी व दावे के पक्षकार प्रतिवादी संख्या 6 ता 18 ने अपनी काश्त की सुविधा से भूमि का मौके पर बंटवारा किया हुआ है तथा अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त कर रहे है। भूमि खसरा नम्बर 30 रकवा 0.20 है0 व अन्य खसरा नम्बर ग्राम कमालपुरा प्रार्थी के हिस्सा बंटवारा कब्जा में आया हुआ है तथा प्रार्थी काबिज है। प्रार्थी की इस भूमि से अप्रार्थीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है ना ही ये खातेदार है। अप्रार्थीगण चालाक, बेईमान किस्म के व्यक्ति है तथा प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 30 रकवा 0.20 है0 ग्राम कमालपुरा को जबरन लट्ठ के बल पर छीनना चाहते है।

प्रार्थी दिनांक 20.12.2020 को अपनी भूमि ख0नं0 30 रकवा 0.20 है0 ग्राम कमालपुरा की देखभाल कर रहा था कि उक्त अप्रार्थीगण हाथों में लाठी, फरसा लेकर आये और प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी की ''तू अब इस खेत को काश्त मत करना, आना जाना छोड दे, अन्यथा तुझे मारपीट कर भगा देगें'' इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी का प्राइमाफेसी केस साबित है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है, यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को कोई क्षति किसी प्रकार नहीं है। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 30 रकवा 0.20 है0 ग्राम कमालपुरा तहसील टोडाभीम में प्रार्थी के कब्जे काश्त में रूकावट पैदा नहीं करे ना ही किसी अन्य से करावे तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे प्रार्थी को हकूकों को क्षति पहुॅचती हो। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है।

अप्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता उपस्थित हुये अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 जी0 दी0 के पेश कर अवगत कराया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में सायल गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय हाजा में आया है। भूमि खसरा नम्बर 30 रकवा 0.20 है0 बांके ग्राम कमालपुरा में स्थित है। जिसमें सायल अपना कब्जा बताता है जबकि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण करीब 20–25 साल से लगातार काबिज काश्त है और आज [illegible] बिना रोक टोक के कब्जा काश्त करते आ रहे है। जिसमें वर्तमान में बाजरे की फसल सर सब्ज [illegible] खडी हुई है प्रार्थना पत्र बिना कब्जे के पोषणीय नहीं है। अतः मौका की वास्तविक [illegible] की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर आने से सायलान को किसी प्रकार की हानि नहीं है। प्रा[illegible] पत्र की नकल वादी को दिलाई गई जिस पर प्रार्थी वकील द्वारा जबाव पेश नहीं करके सीधे ही बहस करने का निवेदन किया जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा0 दी0 पर बहस सुनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

गई। सायल वकील ने बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित खसरा नम्बरान में गैरसायलान का कोई संबंध नहीं है। जबरदस्ती मेरी कब्जा काश्त की भूमि में दखलन्दाजी करते है, प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में 20–25 साल से कब्जा बताया है लेकिन इस तरह का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया है। वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी (गैरसायलान) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 जा0 दी0 के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे न्यायालय को पृथमतः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने की आवश्यकता हो। मौका रिपोर्ट के माध्यम से प्रार्थीगण (गैरसायलान) दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 जा0 दी0 खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये, अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अधिकतम तथ्यो को अस्वीकार किया तथा खसरा नम्बर 30 रकवा 0.20 है0 बांके ग्राम कमालपुरा में स्थित है। उक्त आराजी को वादी ने गैरसायलान के सम्वत् 2056 में गिरवी रखा हुइा है और तभी से गैरसायलान उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। और लगातार काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में उक्त आराजी में बाजरे की फसल सर सब्ज हालत खडी हुई है। प्रार्थी निहायत ही शरीफ आदमी है। खसरा नम्बर 30 पर गैरसायलान का कब्जा है वे ही काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी से सायल का किसी प्रकार कोई लेना देना नहीं है ना ही सायल उसको काश्त करता है। दिनांक 20.12.2020 को ऐसा कोई बाका नहीं हुआ ळा ना ही ऐसी कोई घटना घटित हुई थी न ही गैरसायलान ने किसी प्रकार की कोई धमकी दी। सायल द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पेश किया गया है जो खरिज होने योग्य है। सायल का केस किसी प्रकार से साबित नहीं है ना ही सायल के पक्ष में कोई प्राईमाफेसी बनता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में नहीं है ना ही सायल को किसी प्रकार की क्षति हो रही है जबकि गैरसायलान के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन है और यदि गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाता है तो गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:12 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान वकीलो की बहस सुनी [illegible] गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम कमालपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या 46 में किता 6 कुल करवा 0.79 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/5, खाता संख्या 44 में किता

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

1 रकवा 0.68 में हिस्सा 1/30, खाता संख्या 293 किता 1 रकवा 0.82 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/5 हिस्से का खातेदार दर्ज रिकार्ड है प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में वादी खातेदार है। अप्रार्थी ने उक्त खसरा नम्बर पर अपने कब्जा के संबंध में गिरवीनामा होने का उल्लेख किया तथा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज पेश किया। उक्त स्थिति में मूल वाद में दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण के आधार पर अंतिम निर्णय तय होना है। अतः न्यायहित में प्रकरण की वस्तुस्थिति में अन्तरिम निषेधाज्ञा को ताफैसला स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकाराने के पक्ष में सिद्ध होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन उभयपक्ष के पक्ष मे साबित है।

3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे यदि उभयपक्ष को पाबन्द नही किया जाता है तो उभयपक्ष को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

अतः ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम कमालपुरा तहसील टोडाभीम के खाता संख्या 46 में वर्णित खसरा नम्बर 1281/0.25, 1282/0.10, 1283/0.04, 2173/0.11, 30/0.20, 737/0.09, कुल किता 6 कुल रकवा 0.79 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/15 तथा खाता संख्या 44 में वर्णित खसरा नम्बर 1998/0.68 है0 किता 1 कुल करवा 0.68 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/30 तथा खाता संख्या 293 में वर्णित खसरा नम्बर 1006 रकवा 0.82 है में प्रार्थी का हिस्सा 1/5 हिस्से तक उभयपक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है। इस न्यायालय निर्णय दिनांक 07.01.2021 ताफैसला कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/7/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:12 IST
Reason: SelfAttested